फैक्स/आवश्यक/प्राथमिकता

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टॉवर-2, चतुर्थ तल, पुलिस भवन शहीदपथ गोमतीनगर लखनऊ, 226010

संख्याः डीजी- परिपत्र संख्या- 02/2022 दिनॉकःमार्च 07, 2022

सेवा में,

पुलिस आयुक्त,
लखनऊ नगर, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी नगर।

कृपया पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के परिपत्र संख्या-35/2019, दिनांकः 07.08.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी एवं समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवे को सम्बोधित करते हुए थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनाती हेतु निर्गत निर्देशों का जनपद स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए मासिक आख्या प्रत्येक माह की 05 तारीख को अनिवार्यरूप से उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2. मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्त परिपत्र संख्याः 35/2019 दिनांकः 07.08.2019 का अनुपालन जोनल स्तर पर ही हो रहा है। कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने से यह व्यवस्था कमिश्नरेट स्तर पर भी लागू होनी है। अतः इस सम्बन्ध में कमिश्नरेट स्तर पर भी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद पर तैनाती हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :-

1-थानाध्यक्ष पद पर तैनाती हेतु निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों की अर्हता/मापदण्ड।

(अ) ऐसी उपनिरीक्षक, जिन्होंने व्यवहारिक प्रशिक्षण को छोड़कर उपनिरीक्षक के पद पर तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, थानाध्यक्ष पद पर तैनी हेतु अर्ह होंगे।

(ब) निरीक्षक तथा उपनिरीक्षक की प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पद पर तैनाती की आयु सीमा 58 वर्ष निर्धारित की जाती है। इससे अधिक आयु के निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों को प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पद पर तैनात नहीं किया जायेगा।

(स) पिछले 05 वर्षों में उनका सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र रोका न गया हो।

(द) पिछले 03 वर्षों में गम्भीर प्रकृति के दण्ड या प्रतिकूल मन्तव्य न प्रदान किए गए हों।

2-प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद पर अनुमोदन/तैनाती की प्रकिया।

(1) पुलिस उप आयुक्त, मुख्यालय उपरोक्त अर्हताएं पूर्ण करने वाले समस्त उपनिरीक्षक/निरीक्षक की अलग-अलग सूची उनके सेवा विवरण के साथ वरिष्ठताक्रम में अपनी संस्तुति सहित संयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त-मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

(2) प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु उपनिरीक्षकों/निरीक्षकों की सूची का अनुमोदन निम्नलिखित कमेटी द्वारा किया जायेगा :-

1-संयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त-मुख्यालय।
2-पुलिस उप आयुक्त-मुख्यालय।
3-पुलिस उप आयुक्त (पुलिस आयुक्त द्वारा नामित)।

(3) उक्त कमेटी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पद पर तैनाती हेतु अनुमोदित सूची पुलिस आयुक्त को प्रेषित करेंगी। इस अनुमोदित सूची के निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों की प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद पर तैनाती उनकी वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पुलिस आयुक्त द्वारा की जायेगी।

(4) अनुमोदित होने के पश्चात् यदि कोई निरीक्षक/उपनिरीक्षक प्रतिकूल परिनिन्दा प्रविष्टि अथवा प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य प्राप्त करता है तो पुलिस उप आयुक्त मुख्यालय द्वारा तत्काल इसकी सूचना पुलिस आयुक्त को दी जायेगी, जो प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पद से तत्काल प्रत्यावर्तित करेंगे।

(5) यदि किन्हीं अन्य कारणों से कोई निरीक्षक/उपनिरीक्षक प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पद से प्रत्यावर्तित किया जाता है तो कम से कम अगले 06 माह तक उसे पुनः प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। यदि प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद से प्रत्यावर्तित कर्मी को पुनः किन्ही कारणों से 06 माह के पहले नियुक्त करना आवश्यक पाया जाता है, तो उसकी नियुक्ति के संबंध में कारणों को पत्रावली पर स्पष्ट उल्लेख करके पुलिस आयुक्त द्वारा अंकित किया जायेगा।

(6) पुलिस उप आयुक्त मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी एवं माह जुलाई में इस सूची की समीक्षा की जायेगी। कमिश्नरेट के अन्दर स्थानान्तरित होने वाले अनुमोदित निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों के पुनः अनुमोदन की सामान्य तौर पर कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके सेवा अभिलेखों की समीक्षा उक्त कमेटी द्वारा पहले की जा चुकी होगी।

(7) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित निरीक्षक/उपनिरीक्षक को प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष तक तैनात नहीं किया जायेगा।

(8) अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में यदि किसी निरीक्षक/उपनिरीक्षक को कमिश्नरेट में सम्बद्ध किया जाता है, तो उसे उस कमिश्नरेट में प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद पर किसी भी दशा में तैनात नहीं किया जायेगा।

(9) शासनादेश संख्याः 4/2018/1768/6-पु-1-18-135/2013 दिनॉकः11-05-2018 (छायाप्रति संलग्न) एवं शासनादेश संख्याः 1146/6-पु-1-21-135/2013 दिनॉकः 12.07.2021(छायाप्रति संलग्न) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) पुलिस आयुक्त का यह दायित्व होगा कि वह उपरोक्त आदेशों का अनुपालन अपने कमिश्नरेट के अन्दर सुनिश्चित करायेंगे। अपने अधीनस्थ नियुक्त थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षकों की तैनाती के संबंध में संकलित सूचना अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ को संलग्न प्रारूप में प्रत्येक माह की 05 तारीख को माइक्रोसाफ्ट **EXCEL** में ई-मेल आईडी-**iglo-up@nic.in** पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

क्र0/3

(11) समस्त कमिश्नरेट मासिक सूचना प्रेषित करते समय इस आशय का प्रमाणपत्र भी इस मुख्यालय को प्रेषित करेंगे कि अनुमोदित सूची के अतिरिक्त कोई कर्मी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद पर तैनात नहीं है।

(12) यह देखने में आया है कि कई बार बिना पर्याप्त कारण के थाना प्रभारियों को हटा दिया जाता है, जो उचित नहीं है। अगर ठोस कारण बिना थाना प्रभारियों को बार-बार हटाया जाता है, तो इस संबंध में सम्बन्धित पुलिस आयुक्त के विरूद्ध प्रतिकूल रूख अपनाया जायेगा।

3- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद पर तैनाती हेतु निर्गत किये जा रहे उपरोक्त निर्देशों का कमिश्नरेट स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये मासिक सूचना अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0 लखनऊ को प्रत्येक माह की 05 तारीख को अनिवार्यरूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकःयथोपरि। (07 वर्क)

7/3/22

(मुकुल गोयल)
पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

फैक्स/ आवश्यक/समयवद्ध (1)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर–2 चतुर्थतल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमतीनगर विस्तार लखनऊ

डीजी–परिपत्र संख्या–35/2019 दिनॉकः लखनऊः अगस्त 07 2019

सेवा में,

1–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक
उत्तर प्रदेश।

3–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

4–समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे,
उत्तर प्रदेश।

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–डीजी–चार– 106 (370)/79 दिनॉकः 12–05–2004, 24–03–2005, 20–07–2007, 09–08–2011, एवं 07–01–2016 तथा शासनादेश संख्या–4/2018/1768/6–पु–1–18–135/2013 दिनॉक 11–05–2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा थानाध्यक्ष पद पर निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों की नियुक्ति हेतु मापदण्ड/अर्हताएँ, जनपदीय तैनाती हेतु आयु सीमा के बारे में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न शासनादेशों एवं मुख्यालय स्तर से प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों की तैनाती के संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों का जनपद स्तर पर सही ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो उचित नहीं है । अतः इस संबंध में पूर्व में मुख्यालय स्तर से जारी आदेशों/निर्देशों के कम में थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनाती हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:–

1–थानाध्यक्ष पद पर तैनाती हेतु निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों की अर्हता/मापदण्ड।

(अ) ऐसे उपनिरीक्षक, जिन्होंने व्यवहारिक प्रशिक्षण को छोड़कर उपनिरीक्षक के पद पर तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, थानाध्यक्ष पद पर तैनाती हेतु अर्ह होंगे।

(ब) निरीक्षक तथा उपनिरीक्षक की थानाध्यक्ष पद पर तैनाती की आयु सीमा 58 वर्ष निर्धारित की जाती है। इससे अधिक आयु के निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों का थानाध्यक्ष पद पर तैनात नहीं किया जायेगा।

(स) पिछले 05 वर्षों में उनका सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र रोका न गया हो ।

(द) पिछले 03 वर्षों में गम्भीर प्रकृति के दण्ड या प्रतिकूल मन्तव्य न प्रदान किए गए हों।

2–प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद पर अनुमोदन/तैनाती की प्रकिया।

(1) जनपद प्रभारी उपरोक्त अर्हताएं पूर्ण करने वाले समस्त उपनिरीक्षक/निरीक्षक की अलग–अलग सूची उनके सेवा विवरण के साथ वरिष्ठताकम में अपनी संस्तुति सहित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र को प्रेषित करेंगे। परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक अपने स्तर पर इस सूची की समीक्षा करके आवश्यकतानुसार संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से विचार विमर्श के उपरान्त वरिष्ठता के कम में थानाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु उपनिरीक्षकों/निरीक्षकों की सूची का अनुमोदन करेंगे । इसी अनुमोदित सूची के उपनिरीक्षकों/निरीक्षकों की सूची में से थानाध्यक्ष पद पर तैनाती उनकी वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर की जायेगी।

Scanned by CamScanner

(2) परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह जनपदों से प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पर तैनाती हेतु अनुमोदन के लिए प्राप्त सूची को 07 दिवस के अन्दर अनिवार्यरूप से अनुमोदित करते हुये संबंधित जनपद प्रभारी को प्रेषित करेंगे।

(3) अनुमोदित होने के पश्चात यदि कोई निरीक्षक/उपनिरीक्षक प्रतिकूल परिनिन्दा प्रविष्टि अथवा प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य प्राप्त करता है तो संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उसे प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पद से तत्काल प्रत्यावर्तित करके उसकी सूचना परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक को देंगे तथा संबंधित निरीक्षक/उपनिरीक्षक को थानाध्यक्ष की अनुमोदित सूची से हटाने की कार्यवाही पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र द्वारा की जायेगी ।

(4) यदि किन्हीं अन्य कारणों से कोई निरीक्षक/उपनिरीक्षक थानाध्यक्ष पद से प्रत्यावर्तित किया जाता है तो कम से कम अगले 06 माह तक उसे पुनः थानाध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा । यदि थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक के पद से प्रत्यावर्तित कर्मी को पुनः किन्ही कारणों से 06 माह के पहले नियुक्त करना आवश्यक पाया जाता है, तो उसकी नियुक्ति के संबंध में समस्त कारणों से परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक /पुलिस उपमहानिरीक्षक को लिखित रूप में अवगत कराते हुये उनका पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(5) परिक्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी एवं माह जुलाई में इस सूची की समीक्षा की जायेगी । परिक्षेत्र के अन्दर स्थानान्तरित होने वाले अनुमोदित निरीक्षकों /उपनिरीक्षकों के पुनः अनुमोदन की सामान्य तौर पर कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके सेवा अभिलेखों की समीक्षा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों/पुलिस उपमहानिरींक्षकों द्वारा पहले की जा चुकी होगी ।

(6) जब भी कोई थानाध्यक्ष प्रत्यावर्तित किया जायेगा तो प्रत्यावर्तन के कारणों सहित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र को जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचना भेजी जायेगी ।

(7) अनुमोदित सूची में से जनपद में थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के कम में की जायेगी । यदि अनुमोदित सूची में से किसी कनिष्ठ कर्मी को थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात किया जाता है, तो वरिष्ठ कर्मी की अनुपयुक्तता का कारण एवं कनिष्ठ कर्मी की उपयुक्तता के कारण से पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र को अवगत कराया जायेगा।

(8) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित निरीक्षक/उपनिरीक्षक को थाना प्रभारी के पद पर 01 वर्ष तक तैनात नहीं किया जायेगा।

(9) मुख्यालय स्तर से निर्गत पत्र संख्या–डीजी–चार–स्था0(निर्देश)/2017/900 दिनॉक 22–06–2017 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी को किसी भी जनपद/इकाई/कार्यालय में किसी भी दशा में सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। किन्तु अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में यदि किसी निरीक्षक/उपनिरीक्षक को किसी जनपद में सम्बद्ध किया जाता है, तो उसे उस जनपद में थाना प्रभारी के पद पर किसी भी दशा में तैनात नहीं किया जायेगा।

(10) शासनादेश संख्या–4/2018/1768/6–पु–1–18–135/2013 दिनॉक 11–05–2018 का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

(11) शासनादेश संख्या–537/6–पु–1–10–71/92 दिनॉक 19–02–2010 के अनुसार पुलिस बल के कान्स0, हेड कान्स0, उप निरीक्षक तथा निरीक्षक की तैनाती दुबारा उन थानों एवं चौकियों पर नहीं की जाएगी, जहॉ पर वह पूर्व में तैनात रह चुके हैं।

(12) जोनल अपर पुलिस महानिदेशक का यह दायित्व होगा कि वह उपरोक्त आदेशों का अनुपालन अपने जोन के अन्दर सुनिश्चित करायेंगे तथा जोन स्तर पर इसकी मासिक समीक्षा कर शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे। अपने अधीनस्थ जनपदों में थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षकों की तैनाती के संबंध में संकलित सूचना अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ को संलग्न प्रारूप में प्रत्येक माह की 05 तारीख को माइक्रोसाफ्ट **EXCEL** में ई–मेल आईडी-iglo-up@nic.in पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

(13) समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक मासिक सूचना प्रेषित करते समय इस आशय का प्रमाणपत्र भी इस मुख्यालय को प्रेषित करेंगे कि उनके अधीनस्थ जनपदों में अनुमोदित सूची के अतिरिक्त कोई कर्मी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद पर तैनात नहीं है।

(14) यह देखने में आया है कि कतिपय जनपद प्रभारियों द्वारा बिना पर्याप्त कारण के थाना प्रभारियों को हटा दिया जाता है, जो उचित नहीं है। अगर ठोस कारण विना थाना प्रभारियों को बार–बार हटाया जाता है, तो इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध प्रतिकूल रूख अपनाया जायेगा।

3- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनाती हेतु निर्गत किये जा रहे उपरोक्त निर्देशों का जनपद स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये मासिक सूचना अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0 लखनऊ को प्रत्येक माह की 05 तारीख को अनिवार्यरूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकःयथोपरि।

7/8/19

(ओ0पी0सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0लखनऊ।

प्रतिलिपिः1.अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संख्याः 1/2018/1768/6-पु-1-18-135/2013

प्रेषक,

ओ0पी0 वर्मा,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 11 मई, 2018

विषयः- उत्तर प्रदेश के जनपदीय पुलिस एवं राजकीय पुलिस के समस्त थानों एवं नवसृजित थानों पर निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः डीजी-चार-103(49)/2017 दिनांक 17.11.2017 एवं डीजी-चार-103(49)/2017 दिनांक 23.04.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्याः 3888/6-पु-1-13-135/2013 दिनांक 07.02.2014 एवं शासनादेश संख्याः 455/6-पु-1-14-135/2013 दिनांक 04.03.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश के कुल थानों के दो तिहायी थानों पर निरीक्षकों तथा एक तिहायी थानों पर उप निरीक्षकों को थानाध्यक्ष के रूप में तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरांत शासनादेश संख्याः 3888/6-पु-1-13-135/2013 दिनांक 07.02.2014 एवं शासनादेश संख्याः 455/6-पु-1-14-135/2013 दिनांक 04.03.2014 में निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) प्रदेश के दो तिहाई थाने जो निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के लिए चिन्हित हैं, उनमें केवल निरीक्षक स्तर के ही योग्य अधिकारियों की तैनाती की जायेगी तथा उप निरीक्षक स्तर के किसी अधिकारी को इन थानों के थाना प्रभारियों के रूप में तैनात नहीं किया जायेगा।

(2) प्रदेश के जो एक तिहाई थाने पूर्व में उप निरीक्षकों को थानाध्यक्ष के रूप में तैनात किये जाने हेतु चिन्हित किये गये थे उनमें योग्य निरीक्षकों की भी तैनाती की जा सकती है। इन थानों पर दक्ष, सशक्त एवं उपयुक्त उप निरीक्षकों की भी तैनाती पर विचारण किया जा सकेगा, जिससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले उप निरीक्षकों का मनोबल बढ़ाया जा सके तथा अन्य उप निरीक्षक स्तरीय अधिकारियों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त हो सके।

(3) यदि किसी थाने पर एक से अधिक निरीक्षकों की तैनाती की जाती है तो यह ध्यान रखा जायेगा कि वरिष्ठतम अधिकारी को ही प्रभारी निरीक्षक बनाया जाए।

पुलिस महानिदेशक (स्थापना)
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ
14/05/18

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(4) किसी भी थाने में उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी को थाना प्रभारी बनाये जाने की दशा में निरीक्षक स्तर के अधिकारी की तैनाती उसके अधीनस्थ न की जाए।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार तैनाती किये जाने की व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जाए।

ह०/-

(ओ०पी० वर्मा)
सचिव।

संख्या: 4/2018/1768(1)/6-पु-1-18-135/2013, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना), उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओ0पी0 वर्मा)
सचिव।

ई-मेल/महत्वपूर्ण

संख्याः 1146/6-पु-1-21-135/2013

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 12 जुलाई, 2021

विषयः- उत्तर प्रदेश के जनपदीय पुलिस एवं राजकीय पुलिस के समस्त थानों एवं नवसृजित थानों पर निरीक्षक/उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः डीजी-चार-101(13)/2013(प्रस्ताव) दिनांक 16.03.2021, 26.03.2021 एवं 03.04.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्याः 1768/6-पु-1-18-135/2013 दिनांक 11.05.2018 द्वारा उत्तर प्रदेश के कुल थानों के दो तिहायी थानों पर निरीक्षकों तथा एक तिहायी थानों पर उप निरीक्षकों को थानाध्यक्ष के रूप में तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरांत शासनादेश संख्याः 1768/6-पु-1-18-135/2013 दिनांक 11.05.2018 में निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों की तैनाती उनकी उपयुक्तता, योग्यता, कर्मठता, कार्यकुशलता, सत्यनिष्ठा एवं व्यवहारिक दक्षता के आधार पर ही की जाएगी। इससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों का मनोबल बढ़ेगा तथा अन्य अधिकारियों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होगी।

(2) उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु यदि आवश्यक हो तो दो तिहाई थानों में निरीक्षकों की तैनाती की व्यवस्था को शिथिल करते हुए यदि योग्य व उपयुक्त निरीक्षक उपलब्ध नहीं है तथा उप निरीक्षक उपलब्ध हैं, तो 50 प्रतिशत तक उप निरीक्षकों की तैनाती की जा सकती है।

(3) उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी थानों में योग्य, कर्मठ, कार्यकुशल और अच्छी सत्यनिष्ठा वाले थानाध्यक्ष ही तैनात हों, सम्बन्धित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।"

कृपया उपर्युक्तानुसार निरीक्षकों/उप निरीक्षकों की तैनाती की व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना)
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
उ०प्र०, लखनऊ
14/7/21

पुलिस अधीक्षक (प्रशासन),
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
उ०प्र०, लखनऊ

7

संख्याः 1146(1)/6-पु-1-21-135/2013, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना), उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(तरूण गावा)
सचिव।